जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,जमुई

मनरेगा के तहत सामग्री अधिप्राप्ति हेतु आपूर्तिकर्ता चयन का आमंत्रण सूचना ।

आयुक्त मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 232 दिनांक 04.02.2020 के आलोक में जमुई जिला के तहत वितीय वर्ष 2020–21 हेतु मनरेगा योजना में प्रखण्ड एवं ग्रम पंचायतों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री यथा सीमेन्ट, स्टोन चिप्स, ब्रिक्स, सोन बालू, जी0आई0 शीट, जी0आई0 पाईप, छड़ (08mm, 10mm, 12mm) लोकल बालू, आवश्यकतानुसार पौधा, पौधा–सामग्री, गेबियन (2'x2'x6'size) स्टेशनरी सामग्री आदि सामग्री अधिप्राप्ति (Meterial Procurement) हेतु इच्छुक प्रतिष्ठित, निबंधित एवं सक्षम प्रतिष्ठानों से मनरेगा सॉफट पर भेण्डर के रूप में सूचीबद्व किया जाना है।

चयन की शर्ते निम्न हैः–

- विज्ञापन दाता – उप विकास आयुक्त,जमुई
- कागजात जमा करने की तिथि एवं समय :– सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 जून 2020 के अपराहन् 3:00 बजे तक
- कागजात जमा करने का स्थान :– जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,जमुई।
- कागजात संवीक्षा की तिथि :– 03 जुलाई 2020 के अपराहन् 3:00 बजे ।
- संवीक्षा का स्थान :– उप विकास आयुक्त, जमुई के कार्यालय प्रकोष्ट में।

1. इच्छुक प्रतिष्ठान द्वारा द्विलिफाफा प्रणाली के तहत तकनीकी विवरणी एवं वितीय विवरणी अलग–अलग लिफाफा में रखते हुए बडा लिफाफा में सीलबंद कर उपलब्ध कराना होगा।
2. तकनीकी संवीक्षा में सफल प्रतिष्ठानों का ही वितीय संवीक्षा के लिए चयन किया जायेगा।
3. तकनीकि विवरणी में उल्लेखित दर सभी कर तथा योजना स्थल पर सामग्री पहुंचाने तक की दर के साथ अंकित करना होगा।
4. सामग्री का दर भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्धारित दर Schedule of Rate (SOR) तथा वृक्षारोपण और पौधाशालाओं के लिए ग्रामीण विकास, विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होना चाहिए। स्टेशनरी सामग्री का दर जिला निर्वाचन दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. गठित कमिटी के द्वारा विभिन्न सामग्रियों हेतु प्रखण्डों एवं ग्राम पंचायतों के लिए अलग–अलग भेण्डर को सूचीबद्व किया जाएगा। इसलिए तकनीकि विवरणी में यह स्पष्ट रहे कि उनके द्वारा किस प्रखण्ड में सामग्री की आपुर्ति की जायेगी।
6. बिहार वित नियमावली 2005 के आलोक में तकनीकि विवरणी के साथ निबंधन प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं विगत वर्षो के टर्न ओवर का अंकेक्षण प्रतिवेदन संलग्न करना होगा। यदि ऐसा कोई प्रतिष्ठान जो वितीय वर्ष 2020–21 में जी0एस0टी0 से पंजीकृत हुआ हो को अंकेक्षण प्रतिवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
7. भेण्डर को जी0एस0टी0 ऐक्ट के प्रावधान का पालन करने के साथ–साथ विगत वर्षो के जी0एस0टी0 क्लियरेन्स प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा।
8. प्रतिष्ठान का नाम काली सूची में दर्ज नहीं है का शपथ पत्र मूल रूप से जमा करना होगा।
9. यदि चयनित भेण्डर का मूल निवास स्थान जिला से बाहर का होगा तो उसे अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय जमुई जिला के अन्दर खोलने के पश्चात ही MIS पर पंजीकृत किया जायेगा।
10. समय–सीमा के अन्दर एवं निर्धारित मानक के अनुरूप सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फॉर्म/प्रतिष्ठान को काली सूची में दर्ज करते हुए कानुनी कारवाई की जा सकती है।
11. भेण्डर का पंजीकरण किये जाने का आशय उसके कार्यादेश प्राप्ति की बाध्यता नहीं होगी।
12. पंजीकृत भेण्डर का वितीय गतिविधियों में अनियमितता एवं समय–समय पर भौतिक सत्यापन में यदि कोई गडबडी पायी जाती है तो भेण्डर का पंजीकरण कभी भी रदद् किया जा सकता है।
13. पंजीकृत भेण्डर को प्रत्येक तीन माह पर जी0एस0टी क्लियरेन्स प्रमाण पत्र जमा कराना होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
15. निविदा बिना कारण बताये स्थगित/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

उप विकास आयुक्त
जमुई